



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 7 स्था0 (7) विविध-30/2012.....

दिनांक-/2025

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक (मु०)।

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
लखीसराय।

विषय:- डॉ० विरेन्द्र कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पतनेर, लखीसराय का शहरी मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

प्रासंग :- आपका पत्रांक 2085, दिनांक 13.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा डॉ० विरेन्द्र कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पतनेर, लखीसराय का शहरी मकान किराया भत्ता स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मकान किराया भत्ता की स्वीकृति राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर वित्त विभाग के द्वारा संकल्प निर्गत की जाती है। तदनुसार राज्य के किसी कार्यालय का मकान किराया भत्ता के दरों में संशोधन की जाती है।

प्रासंगिक पत्र के विषयांकित मामले में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043/वि०, दिनांक 11.10.2017 एवं पत्रांक 5810 वि०, दिनांक 04.08.1984 के आलोक में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के शहरी मकान किराया भत्ता स्वीकृति के संबंध में यथोचित निर्णय लेने हेतु आप स्वयं सक्षम प्राधिकार हैं।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, पतनेर, लखीसराय में पदस्थापित डॉ० विरेन्द्र कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के शहरी मकान किराया भत्ता के अनुमान्यता के संदर्भ में उक्त वित्त विभागीय पत्र के आलोक में नियमानुकूल निर्णय लेते हुए तत्संबंधी मामले का निष्पादन अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु०)।

ज्ञापांक :- 7 स्था० (7) विविध-30/2012.....509 (576)

पटना- 15, दिनांक- 05/02/2025

प्रतिलिपि:- डॉ० विरेन्द्र कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पतनेर, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)।